

प्रेस नोट-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक 30.08.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए उ0नि0 ना0पु0- अशोक राय , लालजी यादव, मनोज कुमार वर्मा को दी गयी भावभीनी विदाई-

दिनांक 31.08.2022 को जनपद महाराजगंज से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर उ0नि0 ना0पु0- अशोक राय , लालजी यादव, मनोज कुमार वर्मा पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए । इस अवसर पर पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक महाराजगंज डॉ0 कौस्तुभ द्वारा अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को माला व अंगवस्त्र पहनाकर तथा प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट कर उनके आगामी सुखमय जीवन की कामना की गई। उनके सकुशल कार्यकाल की सराहना व प्रशंसा व्यक्त करते हुए शुभकामनाओं सहित विदा किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को माला व अंगवस्त्र पहनाकर भावभीनी विदाई दी गयी । विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगणों के साथ सेवानिवृत्त हो रहे समस्त कर्मियों के परिजन भी रहे उपस्थित। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के आगामी जीवन हेतु शुभकामनाएं दी गयी ।

पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों को सम्मान वाहन मे बैठाकर वाहन को विदायी धक्का देकर विदाई दि गयी।

विवरण सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगण-

1. उ0नि0 ना0पु0- अशोक राय ,----- नियुक्ति स्थान- महिला थाना, गृह जनपद- गाजीपुर, सेवाकाल जनपद- फैजाबाद, बहराईच, देवरिया, श्रावस्ती, महाराजगंज

2. उ0नि0 ना0पु0- लालजी यादव, ----- नियुक्ति स्थान- थाना फरेन्दा, गृह जनपद- गाजीपुर, सेवाकाल जनपद- बराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर. महाराजगंज,

3. उ0नि0 ना0पु0- मनोज कुमार वर्मा----- नियुक्ति स्थान- थाना पनियरा, गृह जनपद- लखीमपुर खीरी, सेवाकाल जनपद- हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, विशेष सुरक्षा लखनऊ, महाराजगंज,

प्रेस नोट जनपद महाराजगंज-

दिनांक-30.08.2023

महाराजगंज के लिटील फ्लावर स्कूल व अन्य विद्यालयों के छात्राओं द्वारा पुलिस कार्यालय में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को बाँधी गयी राखी। महोदय द्वारा छात्राओं को उपहार स्वरुप चाकलेट आदि भेंट कर उनकी सुरक्षा का लिया गया संकल्प-

रक्षाबंधन पर्व 2023 के उपलक्ष्य में लिटील फ्लावर व अन्य स्कूलों से आयी छात्राओं द्वारा आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महाराजगंज डॉ0 कौस्तुभ को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए राखी बाँध कर मिठाई खिलाई गयी तथा जनकल्याण संदेश देते हुए उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की गयी।

महोदय द्वारा छात्राओं को उपहार स्वरुप चाकलेट आदि भेंट कर उनकी सुरक्षा का लिया गया संकल्प एवं छात्राओं/अध्यापकों का आभार प्रकट किया गया तथा उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि कभी भी कोई समस्या हो तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं तत्काल नजदीकी पुलिस से सहायता लें अथवा कार्यालय आकर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। कुशीनगर पुलिस अपकी सेवा में 24 घण्टे तत्पर है।

इसके अतिरिक्त छात्राओं द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज एवं अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों को रक्षा सूत्र बांधते हुए मिष्ठान खिलाकर आशीर्वाद एवं शुभ कामनाएं दी गयी।

सोशल मीडिया सेल

जनपद महाराजगंज

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अगस्त-30, 2023

!! □ आज दिनांक-30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

1. “मिशन शक्ति अभियान” के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

2. महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 195 वाहनों का चालान किया गया।

4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संप्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-42 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 09 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

6. पैदल गश्त अभियान-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। तथा 09 व्यक्तियों को धारा 34 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गयी। तथा 12 व्यक्तियों को धारा 110 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गयी।

7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

अभियुक्त ,सुलीक्षण उर्फ मुनीब पुत्र सुरेश ग्राम सिरसिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 316/2023, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

2. नरेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र नौमी नि0 ग्राम सिरसिया सागर धाट थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के कब्जे से 05 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 317/2023, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त फेकू गुप्ता पुत्र गोनी गुप्ता नि0 बेलवा टीकर थाना घुघली जनपद महाराजगं के कब्जे से 03 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 314/2023, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-* अभियुक्त अनिरुद्ध पुभ मुन्ननीलाल नि0 ग्रा0 बेलवाकाजी टोला चाफी थाना कोतवाली के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 499/23 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त ओमप्रकाश प्रजापति पुत्र रामअवध नि0 ग्राम मटिहनिया चौधरी थाना भिटोली जनपद महाराजगंज कब्जे से 10 ली0 कच्ची बबली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 500/23 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र नन्दू प्रसाद नि0 काशीराम आवास बैकुण्ठपुर थाना कोतवाली के कब्जे से 16 टेट्रा पैक बन्टी बबली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 501/23 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त राहूल पुत्र रामप्रीत साहनी ग्राम कटहरा थाना कोतवाली के कब्जे से 10 ली0 कच्ची बबली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 503/23 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई- अभियुक्तगण सोना पत्नी धन्स्याम नि0 कचरी टोला मुसहरडीह थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 273/23 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई- अभियुक्त धूरुपचन्द्र पुत्र स्व0 नारायण सा0 जमुईकला थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 181/23, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए चालान मान0 न्यायालय किया गया।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई- अभियुक्त सगीर पुत्र जलील नि0 मर्यादपुर थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 122 / 23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का उपयोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई- अभियुक्त रुकमीना पत्नी शिनरायन ग्राम लगडी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 298/23 धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

08. विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-29 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

09. जनपद में 29/30.08.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 52 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

10.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा

11.एनडीपीएस अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजन उर्फ राम अशीष पुत्र छडू चौहान नि0 सवया उत्तर टोला थाना कोठीभार के कब्जे से 01 किलोग्राम 310 ग्राम नाजायज गांजा बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 341/2023, धारा- 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

11. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण

1. कमरुल होदा पुत्र नसान अली नि0 सोनबरसा थाना कोल्हुई

2. तौसीफ पुत्र हैदर अली नि0 सोनबरसा

3. आसीफ पुत्र हैदर अली नि0 सोनबरसा

4. समसुल होदा पुत्र इन्सान अली के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या निल/2023, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण

1. मनोज पुत्र दाहे नि0 हरमन्दिर खुर्द

सुखु पुत्र रामलाल नि0 सोनबरसा

शुभम श्रीवास्तव पुत्र अजय नि0 सिधवारी

गौरी शंकर यादव पुत्र बरलाम यादव नि0 सेमराडाडी

विनोद यादव पुत्र राजू नि0 परसामहन्थ थाना फरेन्दा के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या निल/2023, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।